

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
आदेश

श्री अंजनी कुमार, खान निरीक्षक, सारण को आदेश ज्ञापांक 4998 दिनांक 26.11.2024 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। श्री अंजनी कुमार के विरुद्ध विभागीय आदेश ज्ञापांक 4950/एम0 दिनांक 03.09.2025 से विभागीय कार्यवाही संचालित है।

कार्यहित के दृष्टिकोण से श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, सारण, (सम्प्रति निलंबित), जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए जिला खनन कार्यालय, सहरसा में पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(भारत भूषण प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I-रा0(आ0)-11/2024-5563...../एम0, पटना, दिनांक 04/10/25

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण/मुजफ्फरपुर/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I-रा0(आ0)-11/2024-5563...../एम0, पटना, दिनांक 04/10/25

प्रतिलिपि :-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I-रा0(आ0)-11/2024-5563...../एम0, पटना, दिनांक 04/10/25

प्रतिलिपि:-अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, सारण-सह-संचालन पदाधिकारी/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, सारण-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I-रा0(आ0)-11/2024-5563...../एम0, पटना, दिनांक 04/10/25

प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I-रा0(आ0)-11/2024-5563/एम0, पटना, दिनांक 04/10/25

प्रतिलिपि:- श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, सारण, (सम्प्रति निलंबित), जिला
खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I-रा0(आ0)-10/2024-5563/एम0, पटना, दिनांक 04/10/25

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव
के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय
स्थित सभी पदाधिकारी/राजपत्रित स्थापना/लेखा शाखा/आई0टी0 मैनेजर,
(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव